कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जनपद देहरादून

ई–मेल – cfoddn.ukfs@gmail.com फोन नम्बर –0135–2654900

पत्रांक: न-2 / सीएफ़ओ (व्य०भ०म०)-D-PO - 191 – 2025 दिनांक:- नवम्बर 18, 2025

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रबंधक
SIERRA INTERNATIONAL SCHOOL
ADJOINING SBI BANK, MOTHROWALA
जनपद-देहरादून

सन्दर्भः - शैक्षणिक भवन में अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

आपके प्रार्थना पत्र यूआईडी नं0-42170201 दिनांक 08.11.2025 के द्वारा SIERRA INTERNATIONAL SCHOOL, ADJOINING SBI BANK, MOTHROWALA जनपद देहरादून की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी देहरादून द्वारा किया गया। प्रभारी/ अग्निशमन अधिकारी देहरादून के निरीक्षण आख्या दिनांक 18.11.2025 के अनुसार स्थापित अग्निशमन यंत्र कार्यशील दशा में हैं। उपकरणों का निर्धारित परीक्षण शुल्क राजकोष में जमा करा दिया गया है।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। शैक्षणिक भवन के विस्तार/अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नए सिरे से लिया जाना अनिवार्य है, साथ ही अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त संस्थान को प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति सन्तोषजनक एवं कार्यशील होने का एक घोषणा पत्र/Self Audit Report इस कार्यालय को ऑनलाइन/ऑफलाइन माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अतः SIERRA INTERNATIONAL SCHOOL, ADJOINING SBI BANK, MOTHROWALA ,जनपद देहरादून को अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र 03 वर्ष हेतु दिनांक 18.11.2025 से 17.11.2028 तक इस शर्त आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक होगा:-

1. प्रश्नगत भवन के टैरिस में 01 अदद फायर पम्प (450 एल.पी.एम. क्षमता) के प्राविधान 30 दिनों (01 माह) के भीतर करवाकर इस कार्यालय को अवगत कराना आवश्यक होगा, अन्यथा अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रभावी नहीं रहेगा और स्वतः ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त माना जाएगा।
2. प्रश्नगत भवन का मानचित्र शैक्षणिक भवन (भूतल एवं प्रथम तल) में स्वीकृत है। यदि स्वीकृत मानचित्र के अतिरिक्त भवन का उपयोग अन्य प्रयोजन (हॉस्पिटल/नर्सिंग होम आदि) हेतु किया जाता है तो अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रभावित नहीं रहेगा और स्वतः ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त माना जाएगा।
3. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैट बैक तथा सीढियाँ सदैव अवरोध मुक्त रखी जाएं। इमरजेंसी साईन एक्जिट, पावर बैक अप के साथ रहेगी।
4. शैक्षणिक भवन भवन में कार्यरत सभी कर्मचारियों/विद्यार्थियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का संचालन तथा सुरक्षित निक्षेपण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है। समय-समय पर स्थापित अग्निशमन उपकरणों/यंत्रों का निरीक्षण/परीक्षण करते हुए सदैव कार्यशील रखें, तथा समय-समय पर मॉक ड्रिल करते रहें।
5. सभी अग्निशमन यंत्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन/प्रधानाचार्य की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यंत्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती। अतः प्रबन्धन/प्रधानाचार्य को अग्नि रोकथाम उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
6. भवन/संस्थान में विद्युत यंत्रों की स्थापना, वेंटिलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सेट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
7. भवन के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से मानचित्र अनुमोदित करवाकर मानकों के अनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी।
8. भवन में संचालित लैब) केमेस्ट्री, कम्प्यूटर आदि (में सी0ओ0टू0 फायर एक्सटिंग्यूशर का प्राविधान किया जाना आवश्यक है।
9. विद्युत स्विच बोर्ड/विद्युत पैनल के आस-पास किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री का भण्डारण नहीं किया जाएगा। भण्डारण किये जाने पर यह प्रबन्धन की लापरवाही मानी जाएगी तथा भविष्य में आग दुर्घटना घटित होने पर बीमा दावे हेतु संस्तुति नहीं की जाएगी।

(अभिनव त्यागी)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
देहरादून।